



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255720
CG-DL-E-25072024-255720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2803]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2803]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2940(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के झुन्झुनू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 विस्तार राजगढ़ हरियाणा बार्डर के 0+00 किमी. से 60+300 किमी. तक निर्माण (चोड़ा करने/दो लेन पेव्ड शोल्डर का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के झुन्झुनू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 विस्तार के 0+00 किमी. से 60+300 किमी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: झुन्झुनू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सूरजगढ़					
गांव का नाम: पाथडिया					
1	168	निजी	बारानी प्रथम	0.1086 (हेक्टेयर)	0.1086
2	169	निजी	बारानी प्रथम	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
3	170	निजी	बारानी प्रथम	0.1108 (हेक्टेयर)	0.1108
4	207	निजी	बारानी प्रथम	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
5	208	निजी	बारानी प्रथम	0.0664 (हेक्टेयर)	0.0664
6	209	निजी	बारानी प्रथम	0.0348 (हेक्टेयर)	0.0348
7	212	निजी	बारानी प्रथम	0.0838 (हेक्टेयर)	0.0838
गांव का नाम: पिलानी					
8	1651/613	निजी	बारानी प्रथम	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
9	1652/613	निजी	बारानी प्रथम	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
10	1653/613	निजी	बारानी प्रथम	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
11	608	निजी	बारानी प्रथम	0.2347 (हेक्टेयर)	0.2347
गांव का नाम: रायला					
12	193	निजी	बारानी प्रथम	0.0799 (हेक्टेयर)	0.0799
13	484/209	निजी	चाही प्रथम	0.153 (हेक्टेयर)	0.153
कुल योग					0.9564

[फा. सं. RW/NH-12012/06/2016/PS-4/RJ/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2940(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH 709 Ext. Section of

Rajgarh- Haryana Border from Km 0+000 to Km 60+300 NH-709 Ext. in District JHUNJHUNU in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (SDO), Surajgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.0+000 to Km. 60+300 of NH-709 Ext. in District of Jhunjhunu in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: JHUNJHUNU		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Surajgarh					
Village: Pathariya					
1	168	Private	Barani First	0.1086 (Hectare)	0.1086
2	169	Private	Barani First	0.055 (Hectare)	0.055
3	170	Private	Barani First	0.1108 (Hectare)	0.1108
4	207	Private	Barani First	0.0028 (Hectare)	0.0028
5	208	Private	Barani First	0.0664 (Hectare)	0.0664
6	209	Private	Barani First	0.0348 (Hectare)	0.0348
7	212	Private	Barani First	0.0838 (Hectare)	0.0838
Village: Pilani					
8	1651/613	Private	Barani First	0.02 (Hectare)	0.02
9	1652/613	Private	Barani First	0.0047 (Hectare)	0.0047
10	1653/613	Private	Barani First	0.0019 (Hectare)	0.0019
11	608	Private	Barani First	0.2347 (Hectare)	0.2347
Village: Rayla					
12	193	Private	Barani First	0.0799 (Hectare)	0.0799
13	484/209	Private	Chahi First	0.153 (Hectare)	0.153
Total					0.9564

[F. No. RW/NH-12012/06/2016/PS-4/RJ/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.